उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्याः– **220** /सामा0 प्रशा0/भूमि चयन/2023	दिनांक 04.05.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद– बागेश्वर में आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर तथा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 0.74 हे0 वन भूमि (0.32 हेक्टेयर वन भमि तथा 0.42 हेक्टेयर गैर वन भूमि) का उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/UK/other/156508/2022)

सन्दर्भ–: भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एककृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0पी0सी0/09/69/2022/एफ0सी0/105 दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर अवगत करना है कि, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के विषयगत परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.74 है0 भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव पर उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि, विषयगत परियोजना प्रथमदृष्टया NON Site Specific Activity प्रतीत होने के कारण प्रस्तावित भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि चयनित की जाय।

महोदय उक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि:–

1. प्रस्तावित परियोजना के अर्न्तगत **0.32 है0 वन भूमि के अलावा 0.42 है0 सिविल सोयम** अर्थात गैर वन भूमि भी सम्मिलित है।
2. विषयगत परियोजना हेतु विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जनपद बागेश्वर मे अन्य कही भी पर्याप्त तथा उपयुक्त समतल या समतलीकरण योग्य पर्याप्त गैर वन भूमि उपलब्ध नही है।
3. उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन के पत्रांक 1566/14–02–97–80:111/1997 दिनांक 17 मार्च, 1997 द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार, जिसके अर्न्तगत जनपद की समस्त Waste Land /वेनाप भूमि को Protected Forest की श्रेणी में घोषित कर दिये जान के फलस्वरूप कहीं भी गैर वन भूमि चयन सम्भव नही है।
4. प्रस्तावित परियोजना स्थल के समीप रिर्जव फारेस्ट पर केन्द्रीय विद्यालय बागेश्वर के निर्माण के फलस्वरूप प्रस्तावित भूमि के वन भुमि से पूर्णतः पृथक होन के कारण सम्भावित अतिक्रमण के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि के व्यवहारिक रूप से गैर वन में परिवर्तन होना निश्चित है।
5. विषयगत परियोजना सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत अमूल्य मानव संसाधन कों खोने से बचाने के उद्देश्य से Major Public Health Issue, Road Safety Education तथा Enforcement को Address करने हेतु निर्मित की जा रही है।
6. उपर्युक्तानुसार Specific उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाली इस परियोजना हेतु भूमि की अनुपलब्ता के कारण प्रस्तावित स्थल के इतर अन्य कहीं भी निर्माण न हो सकने के कारण महोदय से निवेदन है कि, विषयगत परियोजनाा Site Specific Activity की श्रेणी में विचारणीय है।

महोदय उपर्युक्त सम्बन्ध में प्रस्तावित परियोजना को Site Specific Activity की श्रेणी में वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर ही निर्मित किये जाने हेतु विचार करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन/ EDS निराकरण संलग्न है।

महोदय उपर्युक्त विषय में यह भी सादर अनुरोध करना है कि, उक्त प्रकरण पर आगामी कार्यवाही अथवा निरस्त किये जाने से पूर्व अगली F.R.C.M. की बैठक में उक्त प्रकरण को विचार विमर्श हेतु सम्मिलित किये जाने की कृपा करें जिससे कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी प्रस्तावित परियोजना प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

संलग्नक– पृष्ठ 01से 24 आपत्ति निराकरण

भवदीय,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

संख्या ( )/उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को –

1	**सहायक महानिरीक्षक, (वन)** **भारत सरकार** **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,** **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय– देहरादून,** **25 सुभाष रोड, देहरादून–248001**	सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ तथा इस निवेदन के साथ प्रेषित कि महोदय के समक्ष उपर्युक्त से सम्बन्धित सभी विवरण व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने हेतु तिथि तथा समय निर्धारित कर परिवहन विभाग को **व्यक्तिगत साक्षात्कार / Presentation** हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करना चाहें।
2	**संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।**	सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3	**सम्भागीय परिवहन अधिकारी** प्रशासन **महोदय,** अल्मोड़ा	सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

—: जनपद बागे वर में नगरपालिका बागे वर के अन्तर्गत गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :—
1. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 2. ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर 3 अन—आवासीय कार्यालय भवन, का निर्माण

Quiry Raised
पृथम दुष्टया अमुख प्रस्ताव गैर—स्थल विशिष्ट गतिविधि (non site specific acticity) की श्रेणी में प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 24.02.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी non site specific acticity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है—: Utilisation of forest area for establishing industries, Construction of residential colonies, -institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etc are non site specific activiyies and con not be considered on forest land as a Rule. For that matter no site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त सन्दर्भ में क्रमशः जनपद बागेश्वर में गैर वन भूमि की अनुप्लब्धता तथा वर्तमान प्रस्तावित परियोजना Activity को Site Specfic Activity के अर्न्तगत विचार करने हेतु विभागीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत है

Query Raised	Query Resolution
राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।	**महोदय "राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्दे□य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कश्ट करें " के सम्बन्ध में सादर निम्नवत आख्या सादर प्रस्तुत है।** महोदय • उक्त सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि वर्ष, 2007 में जनपद तथा कार्यालय स्थापना पश्चात प्रथमतः केवल कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य प्रकार की भूमि चयनित करते हुए प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया जाए। • उक्त के क्रम में वर्ष 2015 से ही भूमि चयन के प्रयास प्रारम्भ किये गये। वर्ष, 2018 से उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ड्राईवर काउंसलिंग सेन्टर के निर्माण सम्बन्धी निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर /परिवहन थाना के निर्माण सम्बन्धी निर्देशों के पश्चात वर्ष 2018 से परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, वन विभाग तथा नगरपालिका द्वारा उक्त परियोजनाओं हेतु सघन प्रयास प्रारम्भ किये गये। परन्तु निम्नांकित परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी। ➢ चूंकि बागेश्वर जनपद एक सीमान्त हिमालयी जनपद है जहा की भौगोलिक दशाएं अत्यन्त विषम है बागेश्वर जनपद के लगभग सभी आवासीय क्षेत्र सरयु नदी घाटी, गोमती नदी घाटी तथा इनकी सहायक नदियों, सरिताओं, क्षिप्रिकाओं के जलागम क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह नदियॅा इस क्षेत्र में अपने शैशव या युवावस्था में प्रवाहित होती हुयी अत्यन्त गहरी V.तथा U. आकार की घटियों तथा छोटे गॉर्जो का निर्माण करती है। एसी स्थिति में बहुत ही कम समतल या समतलीकरण योग्य भूमि उपलब्ध है। ➢ महोदय, जनपद मुख्यालय जनपद के लगभग मध्य में स्थित है। राज्यधीन सभी विभागों के जनपदस्तरीय कार्यालय बागेश्वर में ही स्थित है। जनपद मुख्यालय से सीमान्त हिमालयी गांवों तक पहुचने हेतु मार्ग कपकोट तहसील के पश्चात अत्यन्त उबड़ खाबड़ होने के कारण यात्रा दूरी तय करने में लगभग सम्पूर्ण दिन ही लग जाता है। अतः प्रस्तावित परियोजना का निर्माण बागेश्वर से बहुत अधिक दूर किया जाना सम्भव नही है। परन्तु भूमि चिन्हाकन हेतु संघन प्रयासों के बावजूद बागेश्वर शहर के लगभग 15 कि0मी0 की परिधिय क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त कही भी किसी भी श्रेणी की (वन/वनेत्तर) पर्याप्त तथा उपयुक्त भूमि नही पायी गयी है। ➢ महोदय जनपद बागेश्वर जनपद का निवास योग्य क्षेत्र निम्नवत लगभग 03 दिशाओं में फैला है। 1) बागेश्वर–कपकोट मार्ग पर सम्पूर्ण क्षेत्र लगभग U / V आकार की घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में कहीं भी उपर्युक्त परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि नही पायी गयी। 2) बागेश्वर–गरूण–बैजनाथ–कौसानी क्षेत्र भी दो पर्वतों के मध्य गोमती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, उक्त सम्पूर्ण घाटी क्षेत्र में समतल भूमि पर घनी आबादी का निवास के कारण लगभग अधिकांश भूमि नाप भूमि पायी गयी है। शेष भूमि रिजर्व फारेस्ट (आरक्षित वन) के रूप में वर्णित है। 3) बागेश्वर –काण्डा मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश भूमि या तो रिजर्व फारेस्ट है या नाप भूमि के रूप में है।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

V घाटी क्षेत्र

दुर्घटना

दुर्घटना निरीक्षण

नदी घाटी कटाव क्षेत्र

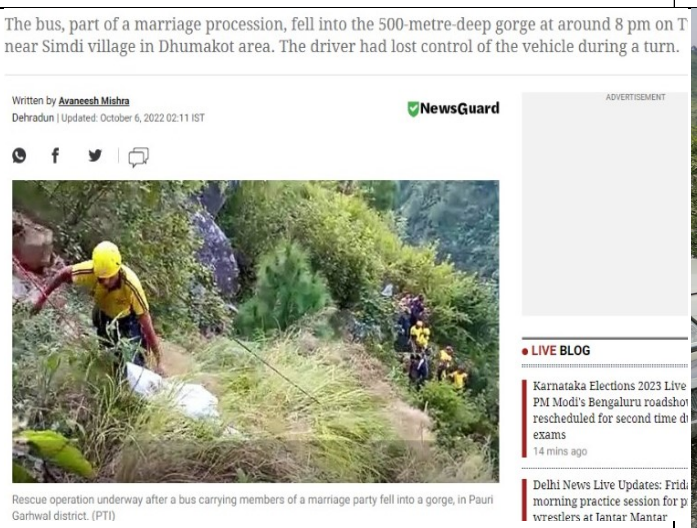
The bus, part of a marriage procession, fell into the 500-metre-deep gorge at around 8 pm on T near Simdi village in Dhumakot area. The driver had lost control of the vehicle during a turn.

Written by Avaneesh Mishra
Dehradun | Updated: October 6, 2022 02:11 IST

NewsGuard

ADVERTISEMENT

LIVE BLOG

Karnataka Elections 2023 Live
PM Modi's Bengaluru roadshot
rescheduled for second time d
exams
14 mins ago

Delhi News Live Updates: Fridi
morning practice session for p
wrestlers at Jantar Mantar

Rescue operation underway after a bus carrying members of a marriage party fell into a gorge, in Pauri Garhwal district. (PTI)

दुर्घटना

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु

गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

ज्नपद बागेश्वर

सरयूघाटी क्षेत्र

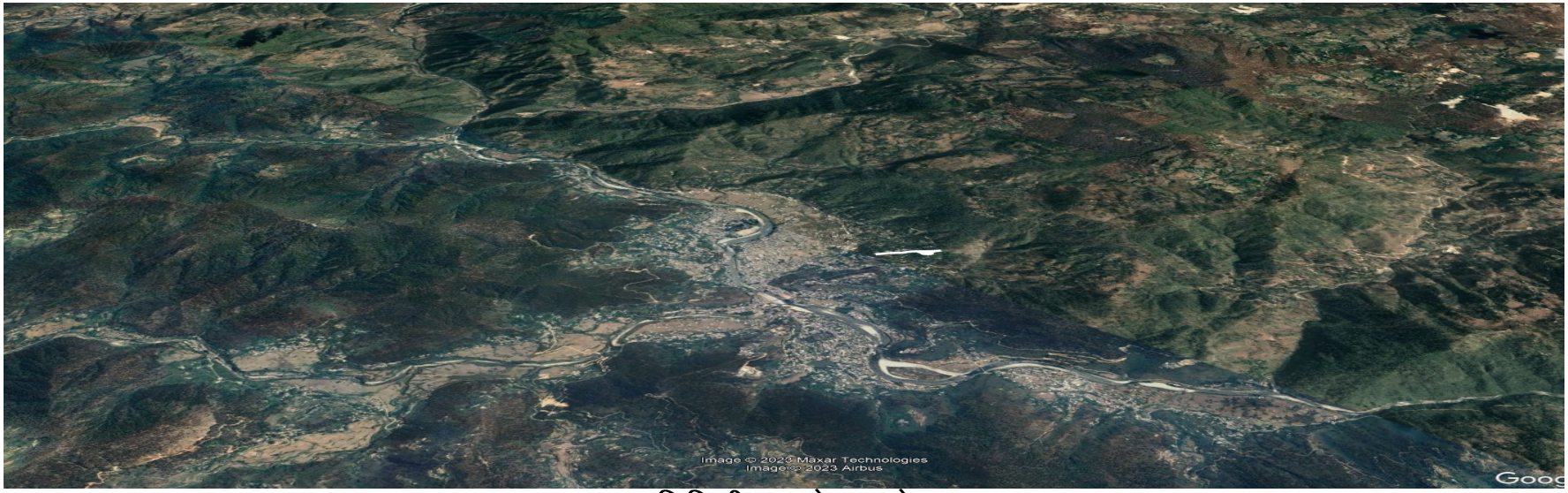

त्रिदिशीय बागेश्वर क्षेत्र

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु

गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

प्रस्तावित भूमि के वास्तविक भू–श्रेणी तथा व्यवहारिक भू–स्थिति

- महोदय उपर्युक्त वर्णित तृतीय क्षेत्र अर्थात बागेश्वर –काण्डा मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश भूमि या तो रिजर्व फारेस्ट है या नाप भूमि के रूप में है। इसी मार्ग पर वर्ष 2020 में ग्राम गाडगांव में वर्तमान प्रस्तावित भूमि (कुल 0.74 हेक्टेयर भूमि जो **0.42 हेक्टेयर गैरवन /सिविल एवं सोयम भूमि** तथा **केवल0.32 हेक्टेयरवन भूमि (वन पंचायत)** के अर्न्तगत है, चिन्हित की गयी है।

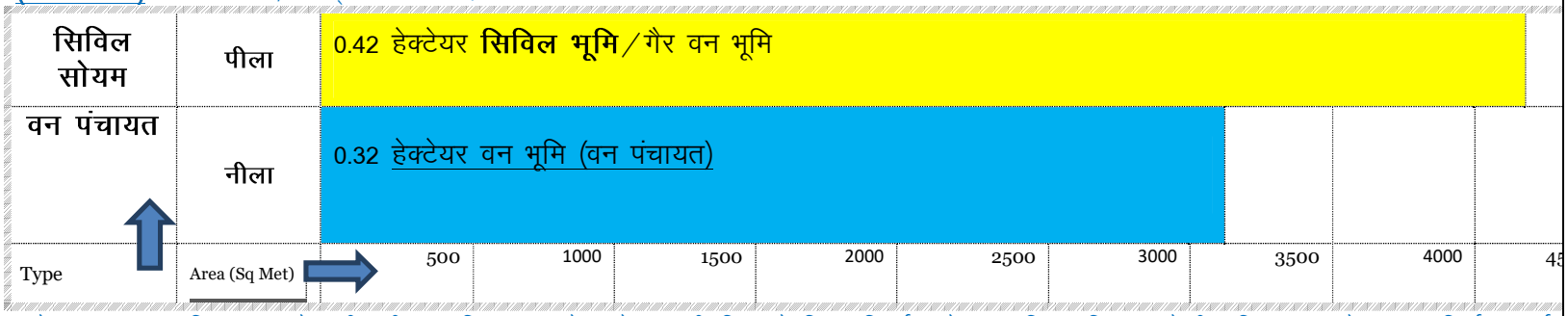

- महोदय उक्त प्रस्तावित स्थल के समीप ही प्रस्तावित स्थल से आगे वन की दिशा में स्थित रिजर्व फारेस्ट(आरक्षित भूमि) पर केन्द्रीय विद्यालय बागेश्वर का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से प्रस्तावित स्थल (जो कि आरक्षित भूमि से लगता हुआ 0.32 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि तथा 0.42 हेक्टेयर गैर वन भूमि/सिविल एवं सोयम भूमि है) वन भूमि से पूर्णतः पृथक हो चुका है।

Google Map of Proposed land.

Photograph of the proposed land From a Far Distant area

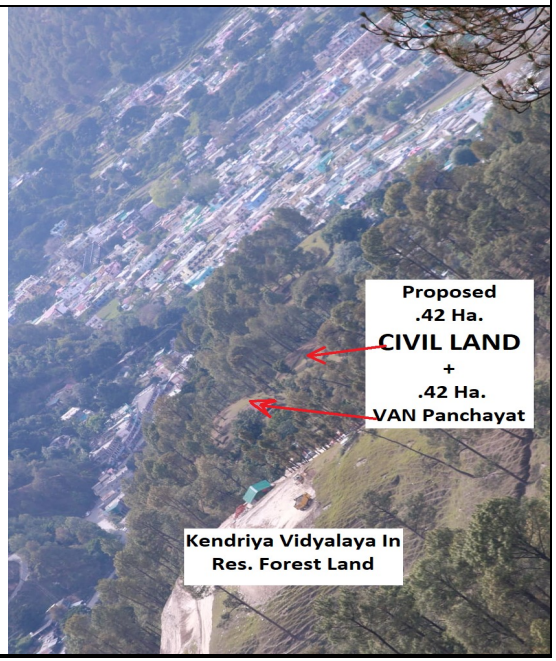

Road to Kendriya Vidyalay
in Between Village and Proposed Land

Bageshwar City From The Proposed Land

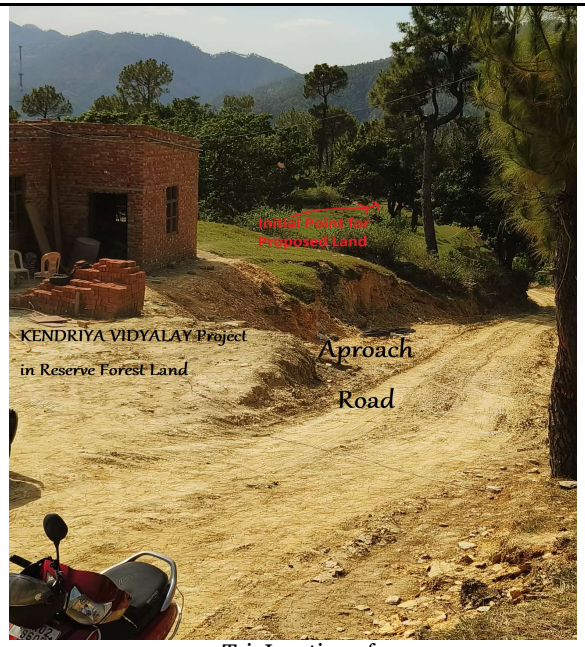

Tri-Junction of
Proposed site+ Aproach Road+ K. V. Project

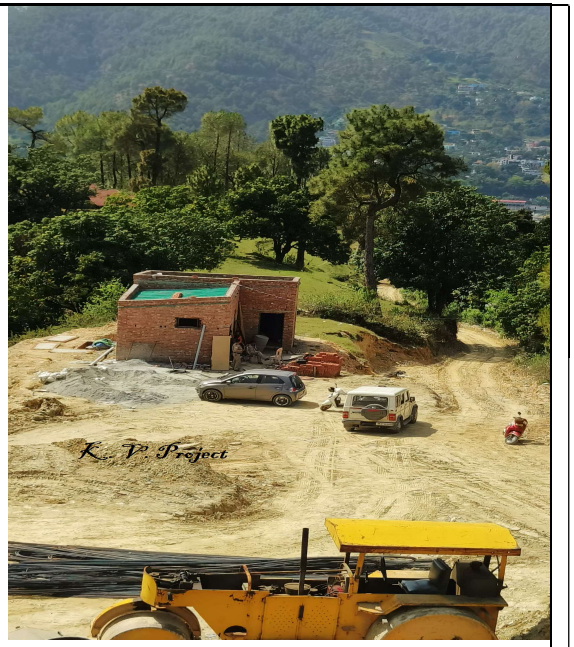

Proposed site + Aproach Road+ K. V. Project

Photo From Proposed Land

Photo From Proposed Land

- यह प्रस्तावित भूमि वन्य क्षेत्र विहीन क्षेत्र है। वर्तमान में स्थानीय लोग इस भूमि का प्रयोग पिकनिक स्पॉट के रूप में कर रहे है। तथा आबादी क्षेत्र से सटा होने के कारण भविष्य में अतिक्रमण हेतु भी अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है।
- इस प्रकार वास्तविक वन भूमि से पृथक हुए प्रस्तावित भू–खण्ड के On Paper वन भूमि प्रकार का होने के बावजूद भविष्य में इसके निश्चित ही **व्यवहारिक रूप से पूर्णतः गैर वन भूमि के प्रकार में परिवर्तित** होने की पूर्ण सम्भावना है।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होनेतथा वर्तमान प्रस्तावित भूमि पर ही परियोजना निर्माण सम्भव है के सम्बन्ध में तथ्य

❖ महोदय जनपद में बेनाप अथवा अन्य प्रकार की भूमि चयन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन के पत्रांक 1566/14–02–97–80:111/1997 दिनांक 17 मार्च, 1997 द्वारा निर्गत निर्देश भी उल्लेखनीय है। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि,कुमाउ क्षेत्र में अधिसूचना संख्या 869–एफ/630 दिनांक 17 अक्टूबर, 1893 द्वारा समस्त वेनाप भूमि को रक्षित वन(Protected Forest)घोषित किया गया था। (प्रति संलग्न)

❖ इस प्रकार उक्त अधिसूचना द्वारा Protected forestके अर्न्तगतReserve Forest तथा Reserve Forest की परिधी से बाहर समस्त Forest Land तथा बेनाप Forest Landसहित समस्त Waste Land /वेनाप भूमि को सम्मलित किया गया था।

❖ महोदय उपर्युक्त के आलोक में सादर अवगत करना है कि भूमि चयन हेतु वर्ष 2018 से परिवहन विभाग जिला प्रशासन, वन विभाग तथा नगरपालिका द्वारा संयुक्त रूप से निरन्तर प्रयास करने के उपरान्त भी अत्यन्त विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस सीमान्त हिमालयी जनपद में प्रस्तावित स्थल से इतर अन्य कहीं भी उपयुक्त तथा पर्याप्त गैर वन भूमि उपलब्ध नही है। (इस सम्बन्ध में प्रपत्र 14, अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा प्रपत्र 11 वन भूमि की मांग का औचित्य, मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न है।)

❖ अतः पुनः सादर निवेदन है कि, उपर्युक्त प्रस्तावित भूमि, जिसपर 0.32 हेक्टेयर वन भूमि के अलावा **0.42 हेक्टेयर सिविल भूमि भी सम्मिलित है,** पर ही परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव है।

-

पृथम दुष्टया अमुख प्रस्ताव गैर–स्थल विशिष्ट गतिविधि (non site specific acticity) की श्रेणी में प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में दिनांक 24.02.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी non site specific acticity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है–: Utilisation of forest area for establishing industries, Construction of residential colonies, -	**पृथम दुश्टया अमुख प्रस्ताव गैर–स्थल विशिष्ट गतिविधि (non site specific acticity) की श्रेणी में प्रतीत होता है के सम्बन्ध में निम्न प्रत्यावेदन महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत है।** **Automated Driving Testing Track तथा Traffic Awareness centre हेतु परियोजना को Site Specific Activity के रूप में विचार करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदनः–** महोदय, महोदय, उपयुक्त के सम्बन्ध में उक्त परियोजना के Site Specific प्रकार की होने तथा परियोजना हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दु प्रस्तुत है। ➢ महोदय, उक्त परियोजना अर्न्तगत प्रस्तावित उप परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण Automated Driving Testing Track तथा Traffic Awareness centreका निर्माण है।Automated Driving Testing Track का निमार्ण डाईविंग लाईसेन्स हेतु आवेदकों की चालक क्षमता के परीक्षण हेतु समतल भूमि पर आधुनिक तकनीकी युक्त आटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाता है। उक्त के निर्माण के पश्चात पूर्ण रूप से कुशल आवेदक को ही ड्राईविंग लाईसेंस प्रदान किया जा सकेगा। जिससे सड़क पर दुर्घटना की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सकता है। ➢ Traffic Awareness centreके अर्न्तगत विभिन्न अभियोगों में निरूद्ध/सीज वाहनों को दीर्घा अवधि तक पार्क करने हेतु समतल भूमि पर पार्किंग भवन के साथ–साथ चालकों को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत काउंसलिंग प्रदान करने हेतु Counselling Education Buildingका निर्माण भी किया जाना है। ➢ **महोदय उक्त दोनों परियोजना के केवल प्रस्तावित भूमि पर ही निर्माण की अपरिहार्यता तथा इसके Site Specific Activity के अर्न्तगत विचार करने के सम्बन्ध में निम्न पूर्व–विवरण प्रस्तुत है।** ➢ महोदय, जैसे की विदित ही है कि तीव्र गति से विकासशील राष्ट्र होने तथा Globalisation के इस दौर में सम्पूर्ण राष्ट्र Economics Activites का लगातार फेलाव हो रहा है। सामान्य मानविकी की कय क्षमता में लगातार वुद्वि हो रही है जिसके फलस्वरूप वाहनों की संख्या में भी लगातार गुणोत्तर वुद्वि हो रही है। मार्गो पर वाहन घनत्व/दबाव अधिक होने से दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ रही है। ➢ भारत में वर्ष 2022 में 231067 नये वाहनों का पंजीकरण किया गया जो पूर्व वर्ष से 17.92 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार कुल वाहनों की संख्या 34,22,79,015 हो गई है। ➢ प्रत्येक वर्ष भारत में 500000 दुर्घटनाओं में लगभग 1500000डेढ़ लाख लोग अकाल ही काल के ग्रास में समाहित हो रहें है। लगभग 8 लाख व्यक्ति दुर्घटनाओं में घायल या गम्भीर घायल हो रहे है। इस से भी अधिक घायलों तथा मृतकों में अधिकाशंतः नौजवान है। 60% व्यक्ति 60 वर्ष से कम की उम्र के है जिनको किसी भी राष्ट्र की Demographic Devidentकी संज्ञा दी जाती हैं। ➢ दुर्घटनाओं के सामान्य विशलेषण में यह तथ्य प्रकट होता है की लगभग 70% दुर्घटनाओं को चालक की सावधानी/बेहतर ड्राईविंग स्किल तथा वाहनों की बेहतर यात्रिंक कंडीशन द्वारा रोका जा सकता है। ➢ तेजी से विकसित होते भारत जैसे राष्ट्र में जहॉ सामान्य लोगों की पहुच वाहनों तक आसान होती जा रही है वहीं जन सुरक्षा के दृष्टिगत सभी वाहन चालकों का बेहद कुशल होने के साथ–साथ चालकों को समय–समय पर काउंसलिंग प्रदान करते हुए शिक्षित करना भी अतिआवश्यक है।

institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etc are non site specific activiyies and con not be considered on forest land as a Rule. For that matter no site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980.	➢ महोदय कई देश जैसें Monaco, Micronetiaआदि में 0 दुर्घटनाएं प्रति एक लाख व्यक्ति Sweden में 2.8 , United Kingdom में 2.9 , Switzerlandमें 3.5 Singapurमें 3.6, Spain में 3.6, Germany में 4.3 एक लाख व्यक्ति दुर्घटनाएं होती है। जबकि भारत में यहा आंकडा 35 से 45 के मध्य दुर्घटनाऐं प्रति एक लाख व्यक्ति है। ➢ उपर्युक्त अन्तर सम्बन्धी कारणों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि चालकता परीक्षण की Advance technology, Skilled Driver तथा वाहनों की बेहतर Mechanical Conditionही उपर्युक्त अन्तर का मुख्य कारण बनाती है। भारत को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत अग्रिम पंक्ती के राष्ट्रों में सम्मिलित करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति–2010 के अनुसार केन्द्रतथा राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाये जाने है जिसमें से आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक/आटोमेटेड फिटनैस ट्रैक A.D.T.T तथा ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर आदि का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाना है। **Key Objectives { Amongst Others} of national Road Safety Policy** **Preamble** ➢ The Government of India is deeply concerned about the growth in the number of road accidents, injuries and fatalities in recent years. It recognizes that road accidents have now become a **major public health issue**, and the victims are mainly the poor and vulnerable road users. ➢ The Government of India further recognizes that as road accidents involve roads, motor vehicles as also the human beings, road safety needs to be addressed on a **holistic basis**. It also recognizes that regardless of jurisdictions, the Central and State Governments have a joint responsibility in reducing the incidence of road accidents, injuries and fatalities. ➢ In the light of this, the Government of India, through this National Road Safety Policy, states its commitment to bring about a significant reduction in mortality and morbidity resulting from road accidents. **Safer Drivers** ➢ The Government will strengthen the system of driver licensing and training to improve the competence and capability of drivers. **Road Traffic Safety Education and Training** ➢ Road safety knowledge and awareness will be created amongst the population through **education, training and publicity** campaigns. Road safety education will also focus on school children and college going students, while road safety publicity campaigns will be used to propagate good road safety practices among the community. The Government will encourage all professionals associated with road design, road construction, road network management, traffic management and law enforcement to attain adequate knowledge of road safety issues.

पृथम दुष्टया अमुख प्रस्ताव गैर–स्थल विशिष्ट गतिविधि (non site specific acticity) की श्रेणी में प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में दिनांक 24.02.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी non site specific acticity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

दिशानिर्देश इस प्रकार है–:

Utilisation of forest area for establishing industries, Construction of residential colonies, -

- देश में बढती सड़क दुर्घटनाओं में बमूल्य मानव संसाधन को खाने से बचाने हेतु Executive, Legislature तथा Judiciaryविभिन्न स्तरोंपर अनेक प्रयास गतिमान है।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा हेतु अनेक समितियों/संस्थाओं की स्थापना की गयी है जो निरन्तर सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है।

1) उत्तराखण्ड राज्य में भी विभिन्न स्तरों पर MultiStakeholder/ Departmentalसंस्थाओं का गठन किया गया है। जिनमें मुख्य निम्न है–:

State Road Safety Council	अधिसूचना संख्या– 549(1)/ 23 (2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
High Power Committee	Notification number 878/ix-1/17/25/2015 dated 21-12-2017 के द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सत्रह सदस्यीय का गठन किया गया है।
Lead Agency	Notification number 455/ix-1/90/2016/2019 dated 26-09-2019के द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
District Road Safety Committee	अधिसूचना संख्या– 549/ 23 (2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।

- उपर्यक्त के अतिरिक्त अधिसूचना संख्या–316/पग–1/25/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में SupremeCourt monitoring Committee द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे जाने हेतु एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।
-
- उपर्युक्त के अतिरिक्त Supream Court monitoring Committee के दिशा निर्देशन पर परिवहन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा Road Safety Action Plan प्रख्यापित किया गया है जिसके अर्न्तगत अन्य के अलावा परियोजना निमार्ण के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है।

  - अधिसूचना संख्या–98/पग–1/ 26/2015 दिनांक 09–02–2016 के अन्तर्गत राज्य में सड़क सुरक्षा नीति को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित कर दी गई है।
  - राज्य में घटित प्रत्येक दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है।
  - सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने हेतु यातायात निदेशालय के स्थायी रूप से गठन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
  - सभी संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना।
  - व्यवसायिक लाईसेन्सों के नवीनीकरण से पूर्व चालकों को 02 दिवसीय (भारी वाहन) एवं 01 दिवसीय (हल्का वाहन) रिफ्रैशर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना।

institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etc are non site specific activiyies and con not be considered on forest land as a Rule. For that matter no site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980.	1) न्यायपालिका के अर्न्तगत उपर्युक्त उद्देश्य हेतु Supreme Court Monitoring Committee on Road Safety {SCMCRS} का गठन किया गया है। 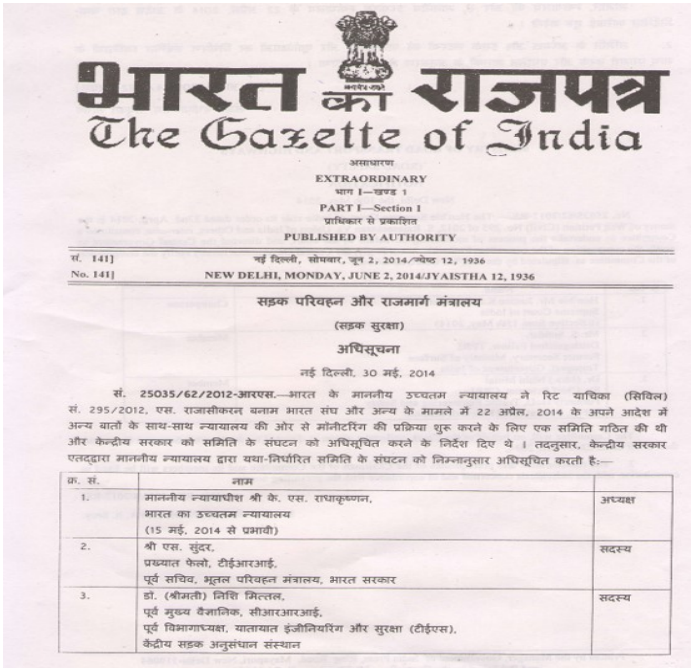 भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2014/ज्येष्ठ 12, 1936 No. 141] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2014/JYAISTHA 12, 1936 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा) अधिसूचना नई दिल्ली, 30 मई, 2014 सं. 25035/62/2012-आरएस.—भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 295/2012, एस. राजासीकरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 22 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय की ओर से मॉनीटरिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति गठित की थी और केन्द्रीय सरकार को समिति के संघटन को अधिसूचित करने के निर्देश दिए थे । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यथा-निर्धारित समिति के संघटन को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:— क्र. सं. नाम 1. माननीय न्यायाधीश श्री के. एस. राधाकृष्णन, भारत का उच्चतम न्यायालय (15 मई, 2014 से प्रभावी) अध्यक्ष 2. श्री एस. सुंदर, प्रख्यात फेलो, टीईआरआई, पूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य 3. डॉ. (श्रीमती) निशि मित्तल, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, सीआरआरआई, पूर्व विभागाध्यक्ष, यातायात इंजीनियरिंग और सुरक्षा (टीईएस), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सदस्य 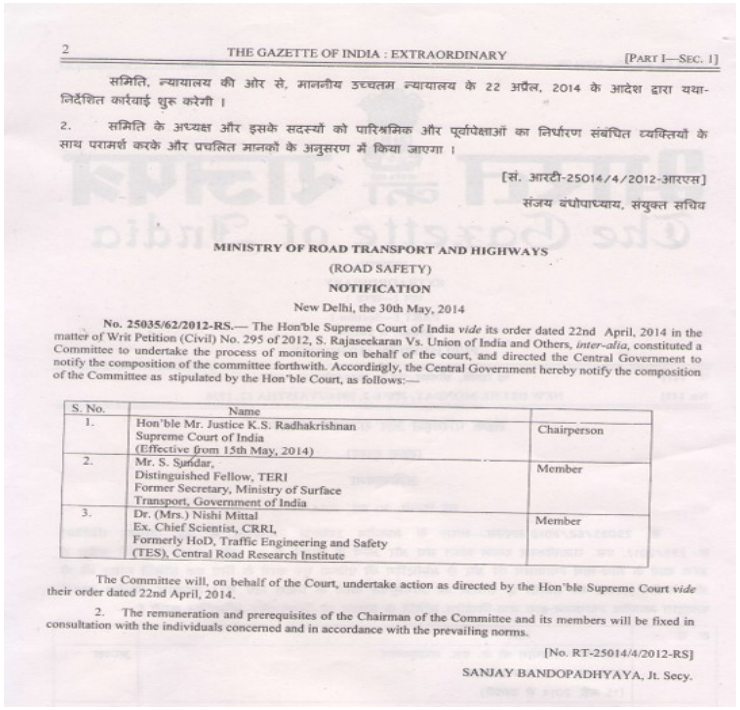 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] समिति, न्यायालय की ओर से, माननीय उच्चतम न्यायालय के 22 अप्रैल, 2014 के आदेश द्वारा यथा-निर्देशित कार्रवाई शुरू करेगी । 2. समिति के अध्यक्ष और इसके सदस्यों को पारिश्रमिक और पूर्वापेक्षाओं का निर्धारण संबंधित व्यक्तियों के साथ परामर्श करके और प्रचलित मानकों के अनुसरण में किया जाएगा । [सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस] संजय बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (ROAD SAFETY) NOTIFICATION New Delhi, the 30th May, 2014 No. 25035/62/2012-RS.— The Hon'ble Supreme Court of India *vide* its order dated 22nd April, 2014 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 295 of 2012, S. Rajaseekaran Vs. Union of India and Others, *inter-alia*, constituted a Committee to undertake the process of monitoring on behalf of the court, and directed the Central Government to notify the composition of the committee forthwith. Accordingly, the Central Government hereby notify the composition of the Committee as stipulated by the Hon'ble Court, as follows:— S. No. Name 1. Hon'ble Mr. Justice K.S. Radhakrishnan, Supreme Court of India (Effective from 15th May, 2014) Chairperson 2. Mr. S. Sundar, Distinguished Fellow, TERI, Former Secretary, Ministry of Surface Transport, Government of India Member 3. Dr. (Mrs.) Nishi Mittal, Ex. Chief Scientist, CRRI, Formerly HoD, Traffic Engineering and Safety (TES), Central Road Research Institute Member The Committee will, on behalf of the Court, undertake action as directed by the Hon'ble Supreme Court *vide* their order dated 22nd April, 2014. 2. The remuneration and prerequisites of the Chairman of the Committee and its members will be fixed in consultation with the individuals concerned and in accordance with the prevailing norms. [No. RT-25014/4/2012-RS] SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy. ➢ सड़क सुरक्षा हेतु गठित उपर्युक्त सभी संस्थाऐं द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत 4 Es यथा 1- Engineering (Vehicle and Road Engineering), 2-Education, 3-Enforcement, and 4-Emergency Careपर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। ➢ **DIRECTIONS OF SUPREME COURT MONITORING COMMITTEE ON ROAD SAFETY.** ➢ उपर्युक्त के क्रम में ही Supreme Court Monitoring Committee द्वारा वर्ष 2018 से प्रारम्भ करते हुये प्रत्येक राज्य के प्रत्येक परिवहन कार्यालयों मेAutomated Driving Testing Track (A.D.T.T) के अनिवार्यतः निर्माण के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। साथ ही Supreme Court Monitoring Committee तथा High Court Of Utarakhandद्वारा रिट याचिका 2112/एम0एस0, अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2018 जुलाई, में प्रदत्त आदेशानुसार राज्य के प्रत्येक परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु Educational Purpose के रूप में ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर के रूप में परिवहन थाना {Traffic Police Station} तथा काउंसलिंग सेन्टर का निर्माण किया जाना है।

पृथम दुष्टया अमुख प्रस्ताव गैर–स्थल विशिष्ट गतिविधि (non site specific acticity) की श्रेणी में प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में दिनांक 24.02.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी non site specific acticity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

दिशानिर्देश इस प्रकार है–:

Utilisation of forest area

- **उक्त निर्देशों के अनुपालन में ही प्रत्येक राज्य में Automated Driving Testing Track (A.D.T.T) सहित उपर्युक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्य निम्नानुसार तीव्र गतिमान है।**

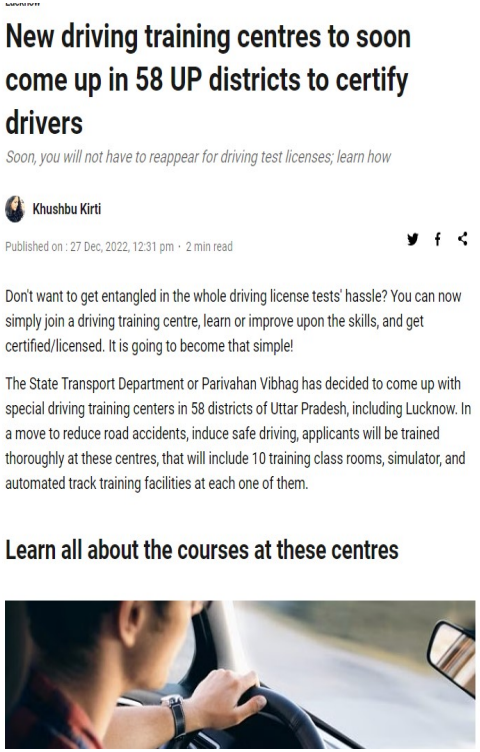

New driving training centres to soon come up in 58 UP districts to certify drivers

Soon, you will not have to reappear for driving test licenses; learn how

Khushbu Kirti

Published on : 27 Dec, 2022, 12:31 pm · 2 min read

Don't want to get entangled in the whole driving license tests' hassle? You can now simply join a driving training centre, learn or improve upon the skills, and get certified/licensed. It is going to become that simple!

The State Transport Department or Parivahan Vibhag has decided to come up with special driving training centers in 58 districts of Uttar Pradesh, including Lucknow. In a move to reduce road accidents, induce safe driving, applicants will be trained thoroughly at these centres, that will include 10 training class rooms, simulator, and automated track training facilities at each one of them.

Learn all about the courses at these centres

Home » India

Delhi: Driving tests to get tougher by end of January 2023, track to be fully automated; Check new guidelines

The automated driving licence exam uses sensors and cameras to assess candidates on 24 categories.

Reported By: DNA | Edited By: DNA Web Team |Source: DNA Web Desk |Updated: Dec 26, 2022, 07:27 PM IST

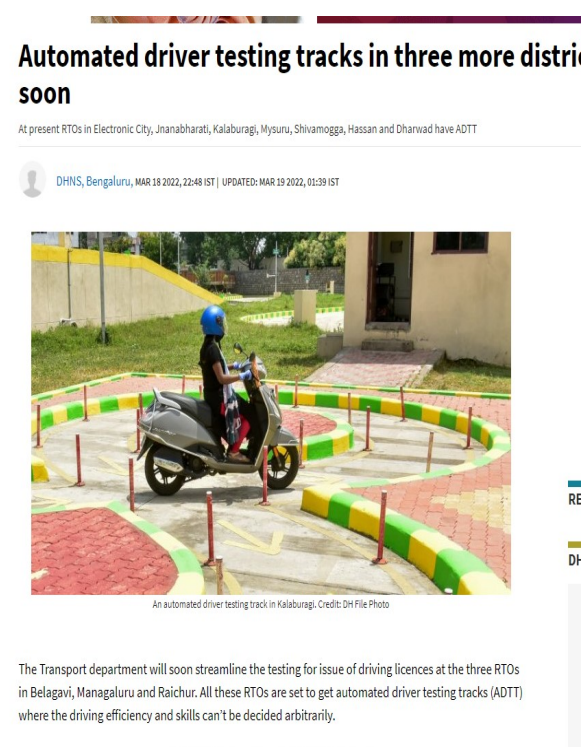

Automated driver testing tracks in three more distri soon

At present RTOs in Electronic City, Jnanabharati, Kalaburagi, Mysuru, Shivamogga, Hassan and Dharwad have ADTT

DHNS, Bengaluru, MAR 18 2022, 22:48 IST | UPDATED: MAR 19 2022, 01:39 IST

An automated driver testing track in Kalaburagi. Credit: DH File Photo

The Transport department will soon streamline the testing for issue of driving licences at the three RTOs in Belagavi, Managaluru and Raichur. All these RTOs are set to get automated driver testing tracks (ADTT) where the driving efficiency and skills can't be decided arbitrarily.

- उत्तराखण्ड राज्य में बागेश्वर सहित केवल 03 जनपदों के अतिरिक्त सभी जनपदों में उपर्युक्त हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है।
- जनपद बागेश्वर में भी उर्पयुक्त हेतु अथक प्रयासों के पश्चात उक्त भूमि चिन्हित की गई है।
- महोदय सीमान्त, दूरस्थ हिमालयी जनपद होने के कारण देश की सुरक्षा सेवाओं में भर्ती होने के बाद यहां रोजगार का मुख्य साधन टैक्सी सेवाएं है। यहा के अधिकांश टैक्सी मैक्सी चालक सामान्य टैक्सी सेवाओं के साथ–साथ कौसानी बैजनाथ, पिण्डारी ग्लेशियर, सुन्दर ढूगां गलेश्यर चौकोडी मार्ग पर जाने वाले पर्यटकों हेतु गाईड तथा टैक्सी सेवा, उपलब्ध कराते है। अतः इन चालकों को प्रशिक्षण तथा जागरूक बनाना सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- **महोदय MOE FCC के विभिन्न act/regulation नियमावली में विभिन्न प्रावधानों के अनुसार Site Specific activity ऐसी परियोजना कही जा सकती है जो कि चिन्हित प्रस्तावित भूमि पर ही निर्मित की जा सके अथवा जिनका निर्माण अन्यत्र किया जाना सम्भव ना हो साथ ही परियोजना निमार्ण प्रर्यावणी दृष्टि से भी प्रतिकूल न हो।**

for establishing industries, Construction of residential colonies, -institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etc are non site specific activiyies and con not be considered on forest land as a Rule. For that matter no site specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980.	➢ महोदय उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित परियोजना कोSITE SPECIFIC activity होने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु सारांशतः निम्न तथ्य प्रस्तुत है। ❖ महोदय प्रस्तावित परियोजना के अर्न्तगत प्रथमतः A.D.T.T Automated Driving Testing Track का निर्माण सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने हेतु Mojor Public Health Issue को Address करने के Specific Purpose हेतु जनपद बागेश्वर की अत्यंत विषम भौगोलिक सामरिक परिस्थितियों के दृष्टिगत बागेश्वर शहर या उसके समीपवर्ती क्षेत्र मेंकिया जाना अपरिहार्य है ❖ TrafficAwareness Centre के अर्न्तगत Enforcement Activity हेतु परिवहन थाना / Transport Police Stationका निर्माण Critical Development InitiativesFor Publicतथा चालकों को सड़क सुरक्षा जागरूकता के सन्दर्भ में Eductional Purpose के लिये काउंसलिंग प्रदान करने हेतु Counselling Building का निर्माणEnforcement तथा Education के सम्बन्ध में Specific Purpose हेतु किया जाना है। ❖ महोदय उक्त दोनों परियोजनाओं का संचालन चूंकि कार्यालय स्टाफ द्वारा ही किया जाना है अत अन–आवासीय कार्यालय भवन(Non Residential Office Building) का निर्माण उक्त दोनों परियोजनाओं से संलग्न करते हुए ही किया जाना जनहित में होगा। ❖ **जनपद की विशम भौगोलिक परिस्थितियों के दृश्टिगत प्रस्तावित परियोजना का निर्माण बागे वर भाहर अथवा भाहर से लगभग 15 किमी की परिधीय क्षेत्र में किया जाना है। परन्तु** अन्यत्र कही भी A.D.T.T तथा Traffic Awareness centreहेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त समतल या समतलीकरण योग्य अन्य श्रेणी की गैर वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त चयनित स्थल पर ही A.D.T.T तथा Traffic Awareness centreका निर्माण किया जाना सम्भव है। ❖ परियोजना निर्माण से कोई प्रयार्वणीय क्षति होना भी सम्भव नही है। ❖ महोदय उक्त परियोजना निर्माणActivity भारत सरकार एकीकृत कार्यालय के सन्दर्भित पत्र में दर्शाइ गई Non Site Activity यथा Utilisation of forest area for establishing industries, Construction of residential colonies, -institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etcमें भी वर्णित प्रतीत नही होता है। ❖ महोदय वर्तमान में वाहन फिटनैस तथा ड्राईविंग टेस्टिंग कार्य किराये के कार्यालय भवन के बाहर एन0एच0 09 मुख्य मार्ग में ही किया जाता है।जिस कारण हमेशा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। पूर्व में ऐसी कुछ घटनाओं से स्वभाग्यवश बचा गया है। ❖ अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है किप्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन के पत्रांक 1566/14–02–97–80:111/1997 दिनांक 17 मार्च, 1997 द्वारा जारी दिशानिर्देश जिसके अर्न्तगत जनपद की समस्तWaste Land /वेनाप भूमिको Protected Forestकी श्रेणी में घोषित करने तथा National Road Safety Policy के अनुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से Mojor Public Health Issue, Road Safety Education तथा Enforcementको Address करने के उद्देश्य से प्रस्तावित निर्माण परियोजना को Site Specific Activity के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तावित भूमि जो**केवल 0.32 हेक्टेयर वन भूमि**तथा**0.42 हेक्टेयर सिविल भूमि के रूप में दर्ज है**, के प्रत्यावर्तन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करना चाहें। ❖ **महोदय के उपर्युक्तानुसार विचार करने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग, जिला प्रशासन वागेश्वर तथा समस्त जनपद निवासी आजीवन आपके आभारी रहेंगे**

प्रपत्र–14

–: परियोजना का नाम :–
–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत करना है कि पूर्व में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में भी केवल कार्यालय भवन निर्माण हेतु 040 है0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए।

वर्तमान में परिवहन विभाग में एकाधिक प्रयोजनों यथा **कार्यालय भवन, मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर भवन** का निर्माण किया जाना है। इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी भूमि विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि –

- उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निमार्ण किया जा सकता है।
- आवेदित 0.740 हे0 वन भूमि (0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि) की मॉग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निमार्ण कार्य किया जाना सम्भव नही है।

(दीपिका आर्या)
तहसीलदार, बागेश्वर

(श्याम सिंह करायत)
वन क्षेत्राधिकारी

(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर

(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी बागेश्वर

पृष्ठ संख्या - 40

प्रपत्र–11

परियोजना का नाम :–
–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या

महोदय, यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 द्वारा 2008–09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए

- इसी कम में मुख्यालय कार्यालय द्वारा वर्ष 2008 के पत्रांक 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 से प्रारम्भ करते हुए वर्ष 2019 के पत्रांक 928/नियोजन /13–70–2019 दिनांक 14.03.2019 तक अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में परिवहन अन–आवासीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के आदेश दिए गए।
- इस सम्बन्ध में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 101 /नियोजन/2008–09 दिनांक 19–01–2009 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में ही परिव्यय एवं बजट का प्रावधान कर दिया गया था परन्तु दीर्घावधि तक उपयुक्त भूमि चयन एवं हस्तांतरण न होने के कारण यह परियोजना वर्तमान तक भी लम्बित है।
- <u>परियोजना के द्वितीय भाग</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशो के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13–113 /2017 दिनांक 26–08–2013से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में डाईविंग लाईसैंस आवेदकों के परीक्षण के लिए म ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया।
- <u>परियोजना के तृतीय भाग</u> के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 419/नियोजन /13/161 /2019 दिनांक 06–02–2020 तथा 2171 /नियोजन/13–161/2021 दिनांक के द्वारा 05–08–2021 के द्वारा सभी जनपदों में निरूद्व वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों के उल्लघनकर्ता चालाकों के काउसलिंग हेतु ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर भवन विकसित किये जाने हेतु भूमि चयन/आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।

महोदय उक्त के अनुपालन में उचित तथा पर्याप्त भूमि चयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा पत्राचार के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :–1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.740 हे0 भूमि / गैर कृषि भूमि {0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि} चिन्हित कर उपलब्ध कराई गई है।

जनपद मे तथा विशेषकर जनपद मुख्यालय, जो कि जन सुविधा के दृष्टिगत परियोजना निर्माण हेतु एकमात्र उपयुक्त स्थल है तथा जहॉ पर उक्त परियोजना स्थापित की जा सकती है, में अन्य कही भी उचित तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा कोई भी वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध नहीं है। प्रपत्र 04/संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार भी परियोजना निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संयुक्त निरीक्षण समिति ने भी भूमि की मांग के अनुरूप चिन्हित स्थल को सर्वथा औचित्यपूर्ण पाया है ।

निर्देशों/पत्रांकों की छायाप्रति,प्रपत्र 04 संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

पृष्ठ संख्या - 41

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 128 /नियोजन/13–70/2019

दिनांक 15- मार्च, 2019

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय–उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–4282/नियोजन/13–70/2018 दिनांक 27–09–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आतिथि तक कृत कार्यवाही एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

पृष्ठ संख्या - 42
अनुस्मारक-8

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
08—रामबाग, कॉवली, देहरादून।

पत्र संख्या— 1303 /नियोजन/2008 दिनांकः 07 जून,2008

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर।

विषयः—सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2008—09 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु परिव्यय बजट प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2008—09 में किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि/आबंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से सम्पर्क कर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करायें। ताकि समय पर भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न हो सके, एवं बजट का सदुपयोग भी इसी वित्तीय वर्ष में हो सके।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः— सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

2811

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

12/6/08

पृष्ठ संख्या -43

कार्यालय परिवहन आयुक्त,उत्तराखंड
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून

पत्र संख्या'– 101 / नियोजन / 2008–09 दिनांक : 19 जनवरी 2009

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर, उत्तरकाशी।

विषय : सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवनों की स्थापना हेतु निशुल्क भुमि चयन के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 654 / नियोजन / 2008 दिनांक 27, अप्रैल,2008, पत्र संसख्या 1008 / नियोजन / 2008 दिनांक 15, मई 2008 एवं पत्र संख्या 1303 / नियोजन / 2008 दिनांक 09,जून 2008, पत्र संख्या 1905 / नियोजन / 2008 दिनांक 21,जुलाई 2008 एवं पत्र संख्या 2524 / नियोजन / 2008–09 / 08 दिनांक 02,सितम्बर 2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं जिस हेतु वर्ष 2008–09 में परिव्यय एवं बजट प्रावधान किया गया था किन्तु भूमि विभागके नाम हस्तांतरण न होने के कारण उक्त कार्यालय हेतु निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में अपने जिले से संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई संपन्न करें ताकि समय पर भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करना है कि भूमि चयन कर संबंधित भूमि का निरीक्षण / परीक्षण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

पत्र संख्या 101 दिनांकित 19 जनवरी

प्रतिलिपिः– संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौडी, हल्द्वानी एवं अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भूमि चयन की कार्रवाई कर प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

प्रभारी मुख्य सहायक
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, तथा
कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
23/1/09
सहायक
बागेश्वर

पृष्ठ संख्या - 44

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 6284 दिनांक 29.8.17

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन
सचिव / आयुक्त, परिवहन,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रैट /
अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति,
उत्तराखण्ड।

संख्या: 5345 / नियोजन / 13 113 / 2017 दिनांक: 26 अगस्त, 2017

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 61 / प्रवर्तन / एक 8(3) / स0सु0 / 2015 दिनांक 05-01-2016 एवं दिनांक 13 04-2017 को सम्पन्न विडियो कान्फ्रेन्सिंग बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यों हेतु परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं:-

1 वाहनों की फिटनेस जॉच करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना। (लगभग 3 एकड़ भूमि)

2 परिवहन कार्यालय में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा के लिए ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना। (लगभग 4,000 वर्गमीटर भूमि)

अभी तक मात्र जनपद हरिद्वार में उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि उपलब्ध हो पायी है। भूमि उपलब्ध करवाने में जिलाधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

अन्य जनपदों में अभी भूमि का चिन्हिकरण नहीं हो पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

प्रतिलिपि–1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2 मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

पृष्ठ संख्या -45

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या- 219 /नियोजन/13-161/2019 दिनांक 06 फरवरी, 2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-रिट याचिका संख्या-2112/एमएस/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2958/प्रवर्तन/स0सु0/1-293/2018 दिनांक 09-07-2018 एवं दिनांक 01-11-2019 को मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने के लिये भूमि आवंटित करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को खड़ा करने (1) एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को काउन्सलिंग प्रदान करने के (2) उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ।
3- समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक ... अधिकारी
रूद्रपुर

दूरभाष-0135-2608105, 2608106, फैक्स: 2608108, ई-मेल: transportdept.uk@gmail.com
अनुभाग ई-मेल: uktcoplan@gmail.com

पृष्ठ संख्या - 46

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 2171 / नियोजन / 13–161 / 2021 दिनांक 05/08/2021 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय–रिट याचिका संख्या–2112 / एम0एस0 / 2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–419 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 06–02–2020, पत्र संख्या–1889 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 23–07–2020 एवं पत्र संख्या–3386 / नियोजन / 13–161 / 2020 दिनांक 11–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–2112 / एमएस / 2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06–07–2018 को अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखत निर्देश पारित किये गये हैं:–

(S) All the District Magistrates, throughout the State of Uttarakhand are directed to provide sufficient land for parking the seized vehicles by the Transport Department, as desired by Mr. D. Senthil Pandiyan within three months, to be called "Traffic Awareness Centres", throughout the State of Uttarakhand, as suggested by Mr. M.S. Chauhan, learned Advocate within a period of three months from today.

इसके अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 01–11–2019 में राज्य के सभी जनपदों में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग को अपेक्षित भूमि आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

संख्या 1566/14-2-97-800(111)/1997

प्रेषक,

ओ॰पी॰ एन॰ ओझा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड,
उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

वन अनुभाग-2 | लखनऊ, दिनांक: 17 मार्च, 1997

विषय:- भारतीय वन अधिनियम-1870 की धारा-28 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या: 869-एफ/630, दिनांक 17-10-1893 द्वारा बेनाप भूमि को रक्षित वनभूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना।

महोदय,

कुमायूं क्षेत्र की अधिसूचना संख्या: 869-एफ/630, दिनांक: 17-10-1893 द्वारा बेनाप भूमि रक्षित वन घोषित की गयी थी। रिट याचिका (सिविल) संख्या: 202/1995-टी॰एन॰ गोडावर्मन थिरुमलपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक: 12-12-1996 को पारित निर्णय के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में बेनाप भूमि की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में आयुक्त, कुमायूं मण्डल तथा जिलाधिकारियों द्वारा कतिपय शंकायें व्यक्त करते हुए बेनाप भूमि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रकरण शासन के वन विभाग को सन्दर्भित किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर शासन द्वारा विधिक रूप से परीक्षण किया गया था और परीक्षणोपरान्त विधिक स्थिति निम्नवत है:-

(1)- अधिसूचना संख्या: 869-एफ/630, दिनांक: 17-10-1893 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम संख्या-7 सन 1878 की धारा 28 के अधीन अधिनियम का अध्याय-4 (प्रोटेक्टेड फारेस्ट से सम्बन्धित) के प्राविधान, गढ़वाल, अल्मोड़ा व तराई-डिवीजन नैनीताल की आरक्षित वन (रिजर्व फारेस्ट) से बाहर की ऐसी वनभूमि और बंजर भूमि में लागू किया गया था, जो कि आरक्षित वन नहीं थे, गाँव की नाप भूमि में सम्मिलित नहीं

2/-

थी और उसमें सीमांकित रक्षित वन। डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फारेस्ट भी नहीं थी। इस प्रकार प्रश्नगत अधिसूचित बेनाप भूमि 1893 से विधिक रूप से रक्षित वन है गयी।

12।- यद्यपि अधिनियम संख्या-7 सन् 1878 ई० भारतीय वन अधिनियम 1927 की मूल धारा 86 के द्वारा निरसित कर दिया गया तथापि 17-10-1893 की अधिसूचना और उसके अन्तर्गत किया गया कृत्य साधारण खण्ड अधिनियम संख्या-10 सन् 1897 की धारा-6 व 26 के अधीन अक्षुण्ण बने रहेंगे। परिणामतः 17-10-1893 की अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम-1927 की अध्याय-4 के अधीन प्रसारित की हुई समझी जायेगी और उस अध्याय की धारा-30, 32 व 33 में दिये गये प्रतिबन्धात्मक प्रावधान भी उस अधिसूचित वनभूमि में लागू समझे जायेंगे।

13।- 1893 में जारी की गयी अधिसूचना द्वारा 'रक्षित वन' के रूप में घोषित की गयी बेनाप भूमि को कालान्तर में नापा गया था। अभिलेखों के अनुसार गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में अन्तिम राजस्व बन्दोबस्त 1956 में हुआ। तदोपरान्त वर्ष 1960 में पर्वतीय क्षेत्र में कृषि, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ जो दिनांकः 1-7-1966 से लागू हुआ। इसके फलस्वरूप सभी बेनाप भूमि को नापकर प्रत्येक गाँव की खतौनी तैयार कर प्रकाशित किया गया था। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांकः 17-10-1893 में अधिसूचित भूमि को बन्दोबस्त या अन्य प्रकार से नाप कर लिये जाने के बाद अधिसूचना के परिधि से बाहर हो जाना नहीं कहा जा सकता है। इसकी विधिक स्थिति यह है कि प्रश्नगत अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम-1878 की धारा-28 की शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिसूचना 'प्रोटेक्टेड फारेस्ट' घोषित करने हेतु जारी की गयी, जिसमें रिजर्वड फारेस्ट के अतिरिक्त अन्य ऐसे फारेस्ट लैण्ड तथा वेस्ट लैण्ड को सम्मिलित किया गया जो रिजर्वड फारेस्ट की परिधि से बाहर थी तथा जहाँ गढ़वाल जिले के ऐसे बेनाप फारेस्ट लैण्ड तथा वेस्ट लैण्ड को, एवं अल्मोड़ा जिले के बेनाप फारेस्ट लैण्ड तथा वेस्ट लैण्ड को सम्मिलित किया गया जो डिमार्केटिड प्रोटेक्टेड फारेस्ट, जिसका ब्यौरा अधिसूचना में अंकित है, में शामिल नहीं थी। इसी प्रकार उक्त अधिसूचना में नैनीताल के साथ-डिवीजन के भी ऐसे बेनाप फारेस्ट व वेस्ट लैण्ड को

.....3/-

शामिल किया गया जो डिमारकेटिड प्रोटेक्टेड फारेस्ट में शामिल नहीं था। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्नगत अधिसूचना में अंकित बेनाप भूमि से आशय उस भूमि से है, जो तत्कालीन प्रचलित वन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित आरक्षित वन, सीमांकित रक्षित वन एवं नाप भूमि से अलग थी। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक: 17-10-1893 के प्रभावी होने के बाद किये गये बन्दोबस्त द्वारा नापी गयी भूमि को रक्षित वनभूमि की परिधि से बाहर नहीं किया जा सकता।

3- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि दिनांक: 17-10-1893 की अधिसूचना में अधिसूचित बेनाप भूमि की विधिक स्थिति "रक्षित वन" है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक: 12-12-1996 को दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 विधिक रूप से मान्य सभी प्रकार के वनों में लागू होंगे, चाहे उनका स्वामित्व किसी का क्यों न हो। अतः अधिसूचना दिनांक: 17-10-1893 में अधिसूचित सभी बेनाप भूमि या बंजर भूमि "रक्षित वन" होने के कारण इस पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होंगे।

4- कृपया उपर्युक्त तथ्यों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[signature]
(पी० एन० मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या: 1566(1)/14-2-97-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उ०प्र०।
3- समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०।
4- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
5- समस्त वन संरक्षक, उ०प्र०।
6- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,
[signature]
(पी०के० पटनायक)
विशेष सचिव।